पुनर्नवा
जून, 2022

Digital News Letter

पुनर्नवा

..... bouncing back to life again and again .....

बाढ़ प्रबंधन की व्यापक तैयारी.....

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार

वज्रपात से बचाव

। पुनर्नवा। जून, 2022

राज्य में ठनका गिरने की घटनाओं से लोगों के मरने एवं घायल होने की भी सूचना मिलती रहती है। इससे बचने हेतु निम्न सुझावों पर अमल करना चाहिए। जैसेः–

यदि आप खुले में हों तो सुरक्षित मकान में शरण लें।
सफर के दौरान अपने वाहन में ही बैठे रहें।
खिड़की, दरवाजे, बरामदे एवं छत से दूर रहें।
बिजली के सुचालक वस्तुओं से दूर रहें।
बिजली की उपकरणों के संपर्क से दूर रहें।
नदी–तालाब जैसे जल स्त्रोंतो से दूरी बनाये रखें।
समूह में न रहें, बल्कि दूरी बनाकर खड़े रहें।
यदि आप जंगल में हैं तो बौने एवं घने पेड़ों के पास चले जाएं।
संचार माध्यमों से मौसम की जानकारी प्राप्त करते रहें।
घायल या पीड़ित की नाड़ी एवं श्वास चल रही है, यह सुनिश्चित कर लें।
सुरक्षित स्थान से दूर यदि आप खेत खलिहान में हों तो –
पैरों के नीचे सूखी चीजें जैसे –लकड़ी, प्लास्टिक, बोरा या सूखे पत्ते रख लें।
दोनों पैरों को आपस में सटाकर हाथें से कान बंद करते हुए उकडू बन जाएं।
इंद्रवज्र एप डाउनलोड करें व उससे प्राप्त सूचनाओं का पालन करते हुए अन्य लोगों तक पहुंचाएं।

क्या न करें ?

छत पर न जाएं।
बिजली/टेलिफोन खंभों के नजदीक न जाएं और न ही उसका सहारा लें।
पेड़ विशेषकर एकाकी पेड़ के नीचे कदापि शरण न लें।
लोहे की छड़ी वाले छाते का उपयोग न करें।
जमीन पर कदापि न लेटें।
किसी भी जल स्त्रोतों में जानवरों को धोने या मछली पकड़ने न जाएं।

विषय सूची

पे.नं.

1	संपादकीय	4
2	वज्रपातः शहरों से अधिक गांवों में खतरा	5
3	राष्ट्रीय कार्यशालाः नई तकनीक से बाढ़ प्रबंधन आसान	7
4	इनसे मिलिये कार्यक्रमः मनुष्य एकमात्र प्राणी जो दूसरों के लिए बना : डा. जावेद	9
5	योग दिवसः निरोग रहने के लिए योग जरूरीः उपाध्यक्ष	10
6	हिंदी टिप्पण–प्रारूपण प्रशिक्षण	11
7	बाढ़ सुरक्षा सप्ताह, 2022	11
8	वज्रपात से सुरक्षाः कार्ययोजना के लिए पटना जिला की हुई समीक्षा	12
9	Drowning Risk Profile of Bihar विषय पर प्रस्तुतिकरण	12
10	Flood Management प्लेटफार्म का गठन	13
11	मास्टर ट्रेनर को मिला सुरक्षित तैराकी का प्रशिक्षण	13
12	सुरक्षित तैराकी कार्यक्रमः तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण	14
13	सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की उच्चस्तरीय समीक्षा	15
14	जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा'' जागरूकता कार्यक्रम	16
15	जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा" कार्यक्रम की समीक्षा	17
16	बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण	18
17	एन0सी0सी0 शिविर में जागरूकता, संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल	19
18	सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण	20
19	ग्राम आपदा प्रबन्धन योजनाः मास्टर ट्रेनर का तीन दिवसीय प्रशिक्षण	21
20	कटिहार के जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा	22
21	आपात स्थिति में पशु प्रबंधनः पशुधन सहायकों का प्रशिक्षण	23
22	दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरणः कार्ययोजना के लिए बैठक	24
23	औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा की समीक्षा	25
24	Mass Messaging	25
25	अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम	26
27	खबरें तस्वीरों में	28

संपादकीय

विकास ऐसा हो जो आफत से बचाए,
ऐसा न हो जो कि आफत बन जाये।

संरक्षक मंडल
डॉ. उदय कांत मिश्र, भा.अभि.से. (से.नि.)
उपाध्यक्ष, बि.रा.आ.प्र.प्राधिकरण

पी.एन. राय, भा.पु.से. (से.नि.)
सदस्य, बि.रा.आ.प्र.प्राधिकरण

मनीष कुमार वर्मा, भा.प्र.से.(से.नि.)
सदस्य, बि.रा.आ.प्र.प्राधिकरण

मीनेंद्र कुमार, बि.प्र.से
सचिव, बि.रा.आ.प्र.प्राधिकरण

मुख्य संपादकः शशि भूषण तिवारी
उपाध्यक्ष के विशेष कार्य पदाधिकारी

वरीय संपादकः कुलभूषण कुमार गोपाल
संपादक मंडल
नीरज कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट
दिलीप कुमार, वरीय सलाहकार
डॉ. जीवन कुमार, परियोजना पदाधिकारी
अशोक कुमार शर्मा, परियोजना पदाधिकारी
प्रवीण कुमार, परियोजना पदाधिकारी
जयंत रौशन, परियोजना पदाधिकारी
आई.टीः सुश्री सुम्बुल अफरोज
मनोज कुमार
ई.मेल.ः sr.editor@bsdma.org
वेब साईटः www.bsdma.org
सोशल मीडियाः
www.facebook.com/bsdma

नोटः– पुनर्नवा में प्रकाशित आलेख लेखकों के व्यक्तिगत एवं अध्ययन स्वरूप विचार हैं। लेखक द्वारा व्यक्त विचारों के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं है।

आपदा नहीं हो भारी,
यदि पूरी हो तैयारी।

मानसून के आगमन के साथ ही राज्य के कई जिलों में बाढ़, जल जमाव की समस्या के साथ ही वज्रपात की घटनाओं में व्यापक पैमाने पर जानमाल की क्षति शुरू हो जाती है। इस दौरान कई मौसमी बीमारी का प्रकोप लोगों को परेशान करती है। इन आपदाओं से हमलोग भलीभांति अवगत भी हैं। यह भी मालूम है कि 15 जून के बाद इन आपदाओं से हमें सामना करना पड़ सकता है। हर वर्ष आने वाली इन आपदाओं से होने वाली जानमाल की क्षति से भी अवगत हैं। इसके बावजूद इससे निपटने की संपूर्ण तैयारी नहीं करना हमारी भूल ही माना जायेगा। यदि हम तैयारी करें और लोगों के बीच इन परेशानियों की चर्चा करें तो इन आपदाओं से होने वाली क्षति को कम से कम किया जा सकता है। मानसून के प्रवेश के पूर्व यदि बाढ़ से बचाव की तैयारी कर ली जाये और बाढ़ पूर्व ऊंची जगहों पर रहने का ठौर खोज लें तो बाढ़ की विभीषिका और क्षति से बचा जा सकता है। उचित खानपान और डॉक्टरों की सलाह से सेहत संबंधी मौसमी परेशानी से बचा सकता है।

मानसून के प्रवेश के साथ ही वज्रपात की घटना तय मानी जाती है। जब आसमान में काले बादल हों और बिजली कड़के तो ऐसी स्थिति में खेतों में काम करना या पेड़ों के पास शरण लेना, नदी, तालाब या किसी जलाशय में जाना कुछ ऐसी गलतियां लोग करते हैं जिसकी कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। यही वजह है कि 2022 के सिर्फ जून माह में वज्रपात से 87 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि पूरा का पूरा मानसून बाकी है। यदि सावधानी बरती जाए तो ऐसी अनहोनी से बचा जा सकता है। अब भी समय है कि हमलोग ऐसी आपदाओं से बचने के लिए अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। यह हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है। इसके लिए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा व्यापक पैमाने पर जनजागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते हैं। यदि बचाव की इन बातों पर ध्यान दें तो इस जानलेवा क्षति के शिकार होने से हम बच सकते हैं।

बाढ़ और वज्रपात की घटनाओं से हमें मानसून की पूरी अवधि में सावधान रहना चाहिए। इसलिए पुनर्नवा के इस जून अंक में पाठकों के लिए कवर पेज दो और कवर पेज तीन पर बाढ़ और वज्रपात से बचने के लिए 'क्या करें और क्या न करें' संबंधी सामग्री दी जा रही है। पाठकों से उम्मीद है कि वे इन तथ्यों को अपने आसपास के लोगों तक पहुंचायें। यह सजग नागरिक के रूप में हमारा और आपका दायित्व भी है।

वज्रपातः शहरों से अधिक गांवों में खतरा

—कुलभूषण—

वज्रपात या ठनका बिहार में सबसे घातक आपदाओं में से एक है। हाल के वर्षों के आंकड़ों को देखें तो इस आपदा से राज्य के विभिन्न जिलों में मानव जीवन की व्यापक क्षति हुई है। यह ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। सावधानी बरतकर ही हम किसी भी आपदा से बच सकते हैं। खासकर वज्रपात जैसी आपदा में यदि सावधानी बरतने में चूक हुई तो यह जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसा नहीं है कि लोगों को वज्रपात से बचाव की जानकारी नहीं है। विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों से लोगों को इससे बचाव की जानकारी लगातार दी जा रही है। न्यूज चैनलों, अखबारों और सोशल मीडिया अथवा एडवायजरी या विज्ञापन के माध्यम से लोगों को बचाव की सभी जानकारी दी जा रही है। जरूरत है इन बातों को गंभीरता से ग्रहण करने की। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी 'मानसून 2021: वज्रपात प्रतिवेदन' के अनुसार पांच साल में वज्रपात से एक हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यह सिद्ध करता है कि वज्रपात अन्य आपदाओं से अधिक घातक और मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली आपदा है।

ग्रामीण क्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित

वज्रपात से शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र अधिक प्रभावित होता है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर गतिविधियां घरों में होती हैं। यहां पक्के मकान सर्व सुलभ भी हैं। इसलिए वज्रपात की घटनाएं और इससे होने वाली क्षति शहरों में कम होती है। इसलिए वज्रपात से सुरक्षा के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। दरअसल, मानसून के दौरान खरीफ की खेती होती है। ऐसे में किसानों को खेतों में मौजूद रहना स्वाभाविक है। वर्षा के दौरान ही धान का बिचड़ा निकाला जाता है। यह भी प्रमुख कारण है वज्रपात से होने वाली दुर्घटनाओं का। स्वाभाविक है कि ऐसे में खेत में काम करने वाले लोग इसकी चपेट में आयेंगे। हम जानते हैं कि गांव से दूर खेतों के आसपास कोई पक्का मकान या बचने के लिए कोई अन्य साधन नहीं होते हैं। यह भी एक कारण है जब किसान, मजदूर, चरवाहे और मवेशी, स्कूल से लौटते बच्चे, राहगीर व घर से बाहर रहने वाले अन्य लोग वज्रपात की

चपेट में आ जाते हैं। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को वज्रपात समेत अन्य आपदाओं से बचने की जानकारी दी जाती है। इसके बावजूद बच्चों को वज्रपात का खतरा बना रहता है। बच्चे ऐसी आपदा से कैसे बचें, इसके लिए स्कूल के शिक्षकों के साथ–साथ अभिभावकों को भी सचेत रहने की आवश्यकता है क्योंकि जून से सितंबर माह तक जिस समय बारिश हो रही होती है, वज्रपात की आपदा की आशंका बनी रहती है।

प्राधिकरण द्वारा जारी प्रतिवेदन में बताया गया है कि जून से सितंबर माह के बीच वज्रपात की सर्वाधिक घटनाएं होती हैं। इस अवधि में 75 प्रतिशत मौत वज्रपात से होती है। यदि ग्रमीण क्षेत्रों में जून से सितंबर तक किसान सावधानी बरतें तो वज्रपात से सैकड़ों लोगों को मौत से बचाया जा सकता है।

इंद्रवज्र एप्प से 30–40 मिनट पहले मिल सकती है वज्रपात की सूचनाः

इंद्रवज्र एप्प से वज्रपात की सूचना 30–40 मिनट पहले मिल सकती है। इसलिए आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार के इस एप्प को एंड्रवायड मोबाइल में डाउनलोड कर लेना चाहिए। इस एप्प के माध्यम से सूचना मिलते ही बचाव के उपाय में जुट जाना चाहिए। यदि वज्रपात की सूचना 30 से 40 मिनट पहले मिल जाती है तो बचाव के लिए सुरक्षित जगहों तक पहुंचा जा सकता है। यह गोल्डेन टाइम बचने के लिए कम नहीं है। औरंगाबाद, पटना आदि जिलों में वज्रपात से बचाव की कार्ययोजना को लागू किया जा रहा है। इन जिलों में लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ, सायरन या हूटर से वज्रपात की सूचना देने समेत अन्य कार्य किये जा रहे हैं ताकि लोगों को वज्रपात की सूचना आसानी से मिल सके। वज्रपात से बचाव के लिए खुद को जागरूक करना होगा। खासकर मानसून के दौरान लोगों को कृषि कार्य, पशुपालन अथवा घर से बाहर रहने के दौरान बचाव के उपायों को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। यदि आसमान में बादल हैं या बिजली कड़क रही है तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। यदि निकल भी गये तो बिजली चमकने पर पक्के मकान में शरण लेने, बिजली की सुचालक वस्तुओं से दूर रहने, बड़े पेड़ों के समीप नहीं ठहरने, यदि वाहन में हों तो वाहन में ही रहकर बचा जा सकता है।

बाढ़ प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला

विकसित बिहार के लिए बाढ़ प्रबंधन आवश्यक :– मंत्री

विशेषज्ञों की रायः नई तकनीक से बाढ़ प्रबंधन आसान

बाढ़ सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर सचिवालय स्थित अधिवेशन भवन में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा ने कहा कि बिहार के लिए बाढ़ प्रबंधन प्रमुख कार्य है। उन्होंने कहा कि बिहार को यदि टॉप पांच विकसित राज्यों की श्रेणी में आना है तो यह बिना बाढ़ प्रबंधन किये संभव नहीं है, क्योंकि बाढ़ के कारण राज्य में व्यापक क्षति होती है। वे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अधिवेशन भवन में एक जून, 2022 को आयोजित बाढ़ प्रबंधन में विज्ञान एवं तकनीक के उपयोग विषय पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने कहा विधान मंडल में 70 से 80 प्रतिशत तक प्रश्न जल जमाव से संबंधित होता है। इससे इसकी गंभीरता को समझा जा सकता है।

आपदा प्रबंधन की पढ़ाई स्कूल से ही शुरु होनी चाहिए– डा उदय कांत मिश्र

कार्यशाला को संबोधित करते हुए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मा. उपाध्यक्ष डा उदय कांत मिश्र ने कहा कि आपदा प्रबंधन की पढ़ाई स्कूल से ही शुरू होनी चाहिए। नई तकनीक की जानकारी से बाढ़ की समस्या को दूर किया जा सकता है।

राहत–बचाव मद के करोड़ों रुपये यदि विकास पर खर्च हो तो परिदृश्य बदल जायेगी– पी.एन राय

अतिथियों का करते हुए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री पी0एन0 राय ने कहा कि राहत और बचाव में करोड़ों रुपये खर्च करती है। यह राशि विकास पर खर्च हो तो परिदृश्य बदल जायेगी। तकनीक के प्रयोग से बाढ़ प्रबंधन करना संभव है।

बिहार में 73.6 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावितः मनीष कुमार वर्मा

प्राधिकरण के मा. सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि बिहार में 73.6 प्रतिशत क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। लगातार ऐसे क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है। पहले यह एरिया 25 लाख हे. था अब यह 68 लाख हे. तक पहुंच गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि बाढ़ का दायरा लगातार बढ रहा है। पहले यह 25 जिलों तक सीमित था अब 32 जिलों तक पहुंच गया है। नई तकनीक के उपयोग से इसे कम किया जा सकता है।

ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ा है बाढ़ का खतरा – जयंत भटनागर

कार्यशाला के प्रथम सत्र की अध्यक्षता करते हुए सी.डॉट के एडवाइजर श्री जयंत भटनागर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। एन0डी0एम0ए0 के साथ मिलकर सी.डॉट इस समस्या पर काम कर रहा है। ड्रॉन फॉर ह्यूमनिटी के फाउण्डर श्री एन0एम0 प्रुष्टि ने कहा तकनीक का प्रयोग जनता के हित के लिए होना चाहिए। आई0आई0एस0सी0 बैंगलोर के डॉ0 (प्रो0) पी0 पी0 मजुमदार ने कहा कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक के उपयोग से बाढ़ के खतरे को 29 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। इसरो (एन0आर0एस0सी0) के ग्रुप डायरेक्टर जी0 श्रीनिवास ने कहा कि तकनीक के मदद से बाढ़ की आपदा को कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तकनीक की वजह से ही फाइलिन जैसे भयानक तूफान में भी कम से कम जानमाल की क्षति हुई।

इस सत्र में कर्नाटक के श्री नागोर कनी, केरल के डॉ0 शेखर लुकोस कुरियाकोस, असम के कृपाल ज्योति मजूमदार और यूनाइटेड नेशन्स इकोनोमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया के डॉ0 संजय श्रीवास्तव, एन0आई0एच0 रुड़की के वैज्ञानिक प्रो0 ए0के0 लोहानी आई0एम0डी0 के वैज्ञानिक श्री बी0पी0 यादव ने भी अपने संबोधन में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीक के प्रयोग पर बल दिया। **विदित हो कि बाढ़ सुरक्षा सप्ताह (01–07 जून) के अवसर पर बाढ़ प्रबंधन में तकनीकी के उपयोग विषय पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह आयोजन आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग और सहयोगी संस्थाओं के द्वारा किया गया। इस आयोजन में राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं जैसे भारत मौसम विज्ञान विभाग, National Remote Sensing Centre, Central Water Commission, Indian Institute of Science, Banglore के साथ–साथ कई राज्यों के विशेषज्ञों की भागीदारी हुई। विशेषज्ञों ने बाढ़ प्रबंधन के लिए देश–विदेश में उपलब्ध उपयोगी scientific tools की विस्तार से जानकारी दी, जो राज्य में बाढ़ प्रबंधन के कार्य को और प्रभावकारी बनाने में सहायता करेगा।**

इनसे मिलिये कार्यक्रम

अतिथिः डा जावेद अख्तर खां

संसार में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी जो दूसरों के लिए बना हैः डा. जावेद

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सभागार में 'इनसे मिलिये' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के चर्चित थियेटर आर्टिस्ट, निर्देशक और टीपीएस कॉलेज, पटना के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष डा जावेद अख्तर खां ने कहा कि संसार में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो दूसरों के लिए बना है। उनका इशारा लोगों में मानवीय मूल्यों को बनाये रखने के लिए प्रयास जारी रखने की ओर था जिसकी समाज को अभी सबसे अधिक आवश्यकता है। वे विशेष कार्यक्रम 'इनसे मिलिये' में प्राधिकरण परिवार को संबोधित कर रहे थे। डा. खां ने कहा कि वे कृष्ण लीला को देखकर नाटक की ओर अग्रसर हुए। साहित्य और कला को आदमी की मूल वृति बताते हुए उन्होंने कहा कि संस्कृति का गुण ही मिलन होता है। भारत की सांस्कृतिक विविधता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि भारत इसलिए अद्भुत देश है क्योंकि यहां कितनी ही चीजें घुली हुई हैं। थियेटर में अपनी उपलब्धि की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि 45 साल से रंगकर्म की जारी उनकी यह यात्रा आज भी जारी है। उनकी संघर्ष यात्रा वही है जो आमतौर पर मध्य वर्ग की होती है। कला, संस्कृति समेत विभिन्न मुद्दों की विस्तार से चर्चा में उन्होंने कहा कि संस्कृति में कुछ भी शुद्ध नहीं होता है।

इसके पूर्व डा अख्तर का प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष, डा उदय कांत मिश्र और माननीय सदस्य श्री पी एन राय के द्वारा शिशु पौधा बुके के रूप में देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के समापन के पूर्व परंपरानुसार प्राधिकरण के कई कर्मियों का जन्म दिवस केक काटकर मनाया गया। डा. अख्तर ने भी प्राधिकरण परिवार के सदस्यों को जन्म दिन की शुभकामनाएं दी।

निरोग रहने के लिए योग जरूरीः उपाध्यक्ष

अंतरराष्ट्रीय योग दिवसः कार्यक्रम को संबोधित करते मा.उपाध्यक्ष डा. मिश्र, मा. सदस्य श्री राय एवं सचिव श्री मीनेंद्र कुमार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष डा. उदय कांत मिश्र ने कहा कि योग ऐसी विधा है जिससे आप निरोग रह सकते हैं। 21 जून, 2022 को प्राधिकरण सभागार में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वे प्राधिकरण परिवार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जल्द ही प्राधिकरण कर्मियों के लिए नियमित अंतराल पर योग कार्यक्रम आयोजित कराने का आश्वासन भी दिया।

प्राधिकरण कार्यालय में पहली बार आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के इस अवसर पर प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री पी एन राय और सचिव श्री मीनेंद्र कुमार के अलावा प्राधिकरण परिवार के लगभग सभी सदस्य मौजूद थे। विदित हो कि योग भारत की प्राचीन परंपरा है। मानव जीवन को स्वस्थ्य रहने के लिए प्राचीन काल में पतंजलि और बाद के दिनों में कई आचार्यों ने इस विधा को आगे बढ़ाया। आधुनिक जीवन शैली की वजह से आमलोगों के रहन–सहन में काफी बदलाव आया है। इसके कारण कई बीमारियों ने लोगों के गुणवत्तायुक्त जीवन को तबाह कर दिया है। इसका समाधान आधुनिक विज्ञान अथवा आधुनिक औषधि से नहीं हो रहा है। ऐसे में योग एक आजमाई हुई पद्धति है जिससे हम लगभग सभी प्रकार की बीमारी

से राहत पा सकते हैं। यह वजह भी है कि भारत की यह प्राचीन परंपरा पुरी दुनिया के लिए वैकल्पिक स्वास्थ्य पद्धति बन चुकी है। इसीलिए तो पूरी दुनिया 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाती है।

हिंदी टिप्पण–प्रारूपण प्रशिक्षण

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कर्मियों को हिंदी टिप्पण–प्रारूपण लेखन का प्रशिक्षण दिया गया। 24 जून, 2022 को प्राधिकरण सभागार में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजभाषा निदेशालय के निदेशक श्री सुमन कुमार और प्राधिकरण के ओएसडी श्री शशिभूषण तिवारी ने कर्मियों को टिप्पण और प्रारूपण में अंतर, संचिका में टिप्पणी लिखने की कला, सरकारी पत्राचार के तरीके और प्रकार समेत अन्य आवश्यक जानकारी इस प्रशिक्षण में दिया।

बाढ़ सुरक्षा सप्ताह, 2022

दिनांक 01 से 07 जून 2022 तक बाढ़ सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्राधिकरण स्तर से पटना शहरी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जन–जागरूकता के कार्यक्रम यथा समाचार पत्रों में एडवाइजरी, नुक्कड़ नाटक, रैली, संवेदीकरण, पेंटिग आदि कार्यक्रम आयोजित किये गए।

वज्रपात से सुरक्षाः कार्ययोजना के लिए पटना जिला की हुई समीक्षा

वज्रपात से जान–माल की व्यापक क्षति होती है। अतः इन घटनाओं की रोकथाम एवं बचाव संबंधी कार्ययोजना के क्रियान्वयन के लिए कई जिलों में तैयारी चल रही है ताकि लोगों को वज्रपात से सुरक्षा की जानकारी दी जा सके। हाल ही में औरंगाबाद जिला प्रशासन के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर जिले के विभिन्न हिस्सों में वज्रपात से बचाव के लिए जागरूकता अभियान तेज करने का निर्देश दिया गया है।

वज्रपात से सुरक्षा के लिए दिनांक 25.06.2022 को हिंदी भवन, पटना में बैठक हुई। माननीय सदस्य श्री पी. एन. राय, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में जागरुकता कार्यक्रम एवं पूर्व चेतावनी संबंधी हूटर/सायरन तथा बचाव हेतु एरेस्टर लगाये जाने संबंधी क्रियान्यवयन सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश दिये गये। बैठक में जिला स्तर के संबंधित पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारियों की भागीदारी हुई। अपर समाहर्ता, पटना ने बताया कि जिले में आई.इ.सी. मेटेरियल का वितरण, वज्रपात सुरक्षा रथ एवं फ्लैक्स/ पोस्टर आदि के माध्यम से पंचायतों में लोगों को बचाव व रोकथाम सबंधी जागरुक किया जा रहा है।

Drowning Risk Profile of Bihar विषय प्रस्तुतिकरण

Drowning Risk Profile of Bihar विषय वस्तु पर एक रिसर्च रिपोर्ट का अध्ययन कर दिनांक 23 जून, 2022 को प्राधिकरण सभागार में एक प्रस्तुतिकरण दिया गया। इस प्रस्तुतिकरण के उपरांत उपस्थित लोगों का Feedback भी प्राप्त किया गया। माननीय उपाध्यक्ष ने राज्य में बढ़ती हुई डूबने की घटनाओं, खास कर बच्चों के डूबने से मृत्यु पर चिंता व्यक्त की और इसके समेकित प्रबंधन हेतु राज्य से ग्रामीण स्तर तक समुचित उपाय करने पर बल दिया। साथ ही यह भी अपेक्षा की कि बच्चों को बिना अभिभावकों की निगरानी के ताल, तलैया और पोखर इत्यादि में नहाने नहीं भेजा जाना चाहिए। इस विषय पर प्राधिकरण द्वारा विस्तृत कार्य किया जा रहा है तथा डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम हेतु समुचित उपाय निरंतर किये जा रहे हैं, खास कर अभी मानसून के दौरान सुरक्षा उपायों को और भी गंभीरता से लागू किया जा रहा है।

Flood Management प्लेटफार्म का गठन

राज्य स्तर पर Flood Management प्लेटफार्म का गठन किया गया, जिसमें विभिन्न संबंधित विभागों और संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इसकी प्रथम बैठक दिनांक 29 जून, 2022 को प्राधिकरण सभागार में हुई। बैठक में हितभागियों के साथ विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में Science & Technology के Flood Management हेतु व्यापक इस्तेमाल पर बल दिया गया। नवीनतम तकनीक जैसे Internet of things, Virtual Reality, Remote Sensing, GIS, M2M, Satellite Imagery इत्यादि का समावेश कर बाढ़ से होने वाली प्रति वर्ष जान–माल की हानि में कमी लाई जा सके। इस प्लेटफार्म की अगली बैठक में Joint Rapid Needs Assessment (JRNA) पर विशेष रूप से चर्चा की जायेगी।

Bihar State Pollution Control Board तथा World Bank द्वारा आयोजित दिनांक 16 जून, 2022 को मा. उपाध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार प्रतिनिधित्व किया तथा प्राधिकरण द्वारा जलवायु परिवर्तन विषय पर किए जा रहे कार्यों से उपस्थित विशेषज्ञों को अवगत कराया।

"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण

डूबने से होने वाली मृत्यु की रोकथाम के उद्देश्य से ''सुरक्षित तैराकी'' कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न जिलों के चिह्नित अंचलों के गांवों के चयनित युवक/युवतियों के लिए मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। मई, 2019 में जारी इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं को सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की पृष्ठभूमि, महत्व एवं उद्देश्य, विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण की प्रक्रिया, तैराकी प्रशिक्षण, डूबने से बचाने हेतु सहायता एवं बचाव के तरीके, प्राथमिक उपचार, समुदाय स्तर पर बालक–बालिकाओं के प्रशिक्षण की प्रक्रिया, बंशी–जाल एवं झग्गड़/कांटा से डूबे हुए व्यक्ति/सामग्रियों की तलाश, कोविड–19 से बचाव के उपाय, सेफ एवं अनसेफ टच आदि विषयों की सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

इस कार्यक्रम के तहत 11वें बैच में दिनांक 20.06.2022 से 28.06.2022 तक पूर्णिया जिले के धमदाहा, बैसा, अमौर एवं बायसी प्रखण्डों के कुल 28 प्रशिक्षुओं को नौ दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण एवं एक प्रशिक्षु को तैराकी प्रशिक्षण दिया गया।

इस प्रकार जून, 2022 तक कुल 11 बैचों में पटना, वैशाली, खगड़िया, बेगूसराय भोजपुर, गया, बांका, गोपालगंज, कटिहार, सारण एवं पूर्णिया जिलों के कुल 186 + 28 = 214 युवकों एवं 9 + 15 = 24 युवतियों को मास्टर ट्रेनर्स तथा कुल 25 युवतियों एवं 07 +1 = 08 युवकों को तैराकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल का प्रशिक्षण

राज्य में डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं इसमें कमी लाने के उद्देश्य से सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत वैशाली जिले के महनार, बेगूसराय जिले के बरौनी और खगड़िया जिले के गोगरी प्रखण्ड में जिला प्रशासन द्वारा चिह्नित प्रशिक्षण स्थलों पर छह से 18 आयु वर्ग के छात्र/छात्राओं का प्रशिक्षण जून, 2022 में संपन्न हुआ। इस प्रशिक्षण का क्रियान्वयन संबंधित जिला प्रशासन द्वारा NINI, पटना में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के सहयोग से सम्पन्न हुआ।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, पटना, वैशाली, बेगूसराय एवं खगड़िया द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र/छात्राओं एवं बालक/बालिकाओं का 12 दिवसीय तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण सम्पन्न हुआ। वर्ष 2020–2021 में 237 छात्र/छात्राओं एवं अप्रैल, 2022 में पटना एवं वैशाली जिले के 110 छात्र/छात्राओं ने तैराकी एवं जीवन रक्षा कौशल विकास का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। जून माह 2022 में समुदाय स्तर सम्पन्न हुए प्रशिक्षण का विवरण निम्नलिखित है :–

क्र0 सं0	**जिला का नाम**	**प्रखण्ड**	**प्रशिक्षण की तिथि** (जून 2022)	**बैचों की संख्या**	**सफलता पूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों, छात्राओं की संख्या**
2	वैशाली	महनार एवं हसनपुर	04–15 जून 2022 16–27 (बालक–60+60)	04 (बालक)	120
3.	बेगूसराय	बरौनी	07–18 जून 2022 30 बालकों	01 (बालक)	30
4	खगड़िया	गोगरी		04 (बालक)	120
			कुल		270

इस प्रकार जून, 2022 तक वैशाली, खगड़िया एवं बेगूसराय जिलों के कुल 688 + 270 = 958 छात्र/छात्राओं को तैराकी में प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की उच्चस्तरीय समीक्षा

"सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रम के क्रियान्वयन में हो रही कठिनाई के मद्देनजर कार्यक्रम के डिजाईन में सुधार सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। दिनांक 21.06. 2022 को प्राधिकरण सभागार में आयोजित इस बैठक में प्रतिभागियों ने क्रियान्वयन में हो रही कठिनाइयों की विस्तार से जानकारी दी।

वैशाली जिले के महनार प्रखंड के मास्टर ट्रेनर ने बताया गया कि प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षुओं के लिए Refreshment, First Aid Kit आदि की व्यवस्था नहीं होती है। अब तक छह बैचों के प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुके हैं, लेकिन मास्टर ट्रेनर को मानदेय नहीं मिला है। समय पर मानदेय के भुगतान एवं अन्य आवश्यक बिन्दुओं पर वार्ता एवं अपेक्षित समाधान के लिए अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, महनार, अंचल अधिकारी, महनार एवं मास्टर ट्रेनर के साथ बैठक प्राधिकरण कार्यालय में आयोजित करने का निदेश दिया गया। बैठक में कहा गया कि जिन जिलों में मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण हो चुका है उन जिलों के अपर समाहर्त्ता/प्रभारी, आपदा प्रबंधन, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, आपदा प्रबंधन प्रोफेशनल्स तथा चयनित मास्टर ट्रेनर के साथ बैठक कर आगामी छह माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किये जायं।

प्राधिकरण के अध्ययन से प्रमाणित हुआ है कि बिहार डी0आर0आर0 रोड मैप के ग्रुप B एवं C के जिले जो बाढ़ प्रवण नहीं माने जाते हैं, ऐसे जिलों में डूबने से मृत्यु की घटनाएं बहुत अधिक हैं। ऐसे जिलो में Safe Swim कार्यक्रम का Focus नदियों के साथ–साथ तालाबों एवं गड्ढों को भी ध्याान में रखकर किया जायेगा। मास्टर प्रशिक्षकों को उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण कराने का अवसर नहीं मिल रहा है। ऐसे मास्टर प्रशिक्षक अन्य जिलों में प्रशिक्षण का कार्यक्रम कर सकते हैं। इन मास्टर प्रशिक्षकों को ग्रुप B एवं C के जिलों में भेजकर प्रशिक्षण कराने का निर्णय लिया गया। उन्हें प्राधिकरण के द्वारा आने–जाने एवं अन्य Logistic arrangement की सुविधा दी जायेगी। निर्णय लिया गया कि पुरूष/महिला मास्टर ट्रेनर की प्रतिनियुक्ति जागरूकता कार्यक्रम के लिये किया जाय। उन्हें समुदाय/विद्यालय स्तर पर डूबने की घटनाओं की रोकथाम के उपायों के प्रचार–प्रसार, प्रमुख त्योहारों एवं बाढ़ के दौरान किया जाना चाहिए। मास्टर ट्रेनर

के द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा किए जाने वाले पर्यवेक्षण में कमी है। मनेर प्रखण्ड की महिला मास्टर ट्रेनर्स ने उनके गांव के आस–पास सुरक्षित प्रशिक्षण स्थल नहीं होने से उन्हें शेरपुर एवं दानापुर में प्रशिक्षण के आने की जानकारी दी। अंचल अधिकारी एवं पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से मनेर प्रखण्ड में ही सुरक्षित तालाबों के चयन का निदेश दिया गया जहां सुगमतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा सके। कई मास्टर ट्रेनर ने बताया कि अंचल स्तर से आवश्यक सहयोग नहीं मिलने के कारण प्रशिक्षण कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। मास्टर प्रशिक्षकों ने बताया कि उन्हें 2019 में Swimming Costume, T-Shirt, Track Pant आदि दिया गया था। वे तब से प्रशिक्षण का कार्य कर रहें हैं। अब ये सामान अनुपयोगी हो चुके हैं। उन्होंने Swimming Costume आदि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। बैठक में निदेश दिया गया कि प्रशिक्षण के उपरांत दिए जाने वाले प्रमाण पत्र पर अंचल अधिकारी एवं संबंधित प्रधानाचार्य का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। बालदेव इंटर विद्यालय, दानापुर के प्राचार्य द्वारा बताया गया कि विद्यालय स्तर पर छात्र/छात्राओं को प्रशिक्षण घाटों तक आवागमण एवं अन्य सहयोग के लिए नोडल शिक्षक प्रतिनियुक्त किए जाते हैं। जिन्हें पर्यवेक्षण का कार्य दिया गया है वे नहीं आते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि नोडल शिक्षक के लिए मानदेय का प्रावधान होना चाहिए, ताकि उनका सहयोग मिले।

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा'' जागरूकता कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न हितभागियों के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिले की अन्य प्रमुख सड़कों के किनारे एवं आस–पास के उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों व महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटना संबंधी विडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नही करें) का प्रदर्शन, सड़क दुर्घटना में प्रभावित हुए छात्र/छात्राओं के द्वारा अनुभव साझा करना, नुक्कड़ नाटक, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण, सड़क सुरक्षा हेतु शपथ, प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण आदि गतिविधियां आयोजित होती हैं। इसके लिए मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण सामग्री भी विकसित की गयी है।

03 जून, 2022 को यह कार्यक्रम वैशाली जिले के दो विद्यालयों में संपन्न किया गया। इसमें लगभग 220 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया। इस प्रकार जून, 2022 तक 12 जिलों के 56 विद्यालयों/महाविद्यालयों में आयोजित कार्यक्रम में कुल 5430 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया।

जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा" कार्यक्रम की समीक्षा

प्राधिकरण स्तर से **"जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा"** कार्यक्रम की समीक्षा बैठक दिनांक 13.06.2022 को सम्पन्न हुई। माननीय सदस्य श्री पी0एन0 राय की अध्यक्षता में हुई इस समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये। यह निर्णय लिया गया कि बैठक में प्रतिभागियों से मिली सलाह पर कार्यक्रम को अद्यतन किया जाएगा।

कार्यक्रम को प्रभावशाली एवं उपयोगी बनाने के लिये निम्न सुझावों को स्वीकृत किया गयाः–

1. एक दिन में एक विद्यालय/महाविद्यालय में कार्यक्रम होगा। विद्यालय द्वारा आठवीं और नौवीं कक्षा के छात्रों के अभिभावकों को कार्यक्रम में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
2. गुणवत्ता युक्त अस्पताल–पूर्व चिकित्सा विषय पर दो घंटे का प्रशिक्षण दिया जाएगा।
3. विद्यालयों/महाविद्यालयों को सूचित करने के पत्र के प्रारूप में बदलाव किया जायेगा।
4. कार्यक्रम में विभिन्न कक्षाओं के बच्चों के साथ चित्रकला, नारा लेखन आदि प्रतियोगिता के आयोजन एवं प्रदर्शनी लगायी जायेगी।
5. बच्चों को सड़क सुरक्षा से संबंधित वीडियो दिखाई जायेगी एवं विमर्श किया जायेगा।
1. सड़कों को कैसे पार करें, बस पर चढ़ने–उतरने आदि की प्रैक्टिकल डेमॉन्सट्रेशन कर जानकारी दी जायेगी।
2. चित्रकला, नारा लेखन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र/छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
3. कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चों के लिए विद्यालय/महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा बिस्किट आदि देने के लिए रू0 1000/–की सहयोग राशि दी जायेगी।
4. सड़क सुरक्षा के नियमों, चिन्हों एवं अन्य जागरूकता सामग्री को फ्लैक्स/कार्ड बोर्ड/प्ले कार्ड में मुद्रित किया जाएगा।
5. प्रत्येक विद्यालय/महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा के नियमों एवं चिन्हों की एक होर्डिंग लगाई जायेगी एवं सड़क सुरक्षा पर आधारित पॉकेट डायरी बनायी जाएगी।
6. सड़क सुरक्षा पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जायेगा।
7. परिवहन विभाग को प्रस्तावित कार्यक्रम की जानकारी 7–10 दिन पहले दिया जायेगा।
8. बच्चों के बैग पर सड़क सुरक्षा से संबंधित जागरूकता संदेश चिपकाने हेतु एक स्टीकर का निर्माण किया जायेगा।
9. जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत पटना जिले से 100 किलो मीटर से अधिक दूरी वाले शैक्षणिक संस्थानों में कार्यक्रम आयोजित करने के दौरान उन जिलों में भोजन एवं आवासन की व्यवस्था की जायेगी।

बैठक में सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार, परिवहन विभाग के पदाधिकारी, पटना एवं सारण के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक एवं रिसोर्स पर्सन शामिल हुए।

बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को मानव जनित आपदाओं में पुलिस की भूमिका, प्राकृतिक आपदाओं में पुलिस की भूमिका, भीड़ प्रबंधन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा, अग्नि एवं भूकम्प सुरक्षा पर मॉकड्रिल आदि के लिए प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के नौवें चरण में दिनांक 06.06.2022 से 08.06.2022 तक आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 39 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। विदित हो कि पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्य–जिला एवं अनुमंडल स्तर पर विधि व्यवस्था संधारण करने, अपराध नियंत्रण एवं आमजन को सुरक्षा प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते ही हैं, वे मानवजनित एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी राज्य की ओर से प्रथम रिस्पॉंडर का कार्य करते हैं। विशेषकर मानवजनित आपदाओं, जैसे भगदड़, सड़क/रेल/हवाई दुर्घटनाओं एवं अगलगी में इनकी भूमिका प्राथमिक महत्व की हो जाती है। साथ ही वे प्राकृतिक आपदाओं की दशा में राहत एवं बचाव कार्यों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अतः यह आवश्यक है कि आपदा प्रबंधन की बदलती अवधारणा की पृष्ठभूमि में ''आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन'' विषय पर इनका क्षमतावर्द्धन किया जाए। इस प्रकार अब तक पुलिस सेवा के 217 पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

एन0सी0सी0 शिविर में जागरूकता, संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल

एन0सी0सी0, पटना में आयोजित शिविर में **सड़क सुरक्षा के उपाय, प्राथमिक उपचार एवं अन्य प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के बारे में जागरूकता/संवेदीकरण एवं मॉकड्रिल** सम्पन्न हुआ। दिनांक 30.06.2022 को एन.सी.सी

के राजेंद्र नगर स्थित शिविर में आयोजित इस मॉकड्रिल में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एन0सी0सी0 उड़ान, एस0डी0आर0एफ0 एवं AIIMS, पटना के सहयोग से एन0सी0सी0 कैडेट्स का मॉकड्रिल संपन्न हुआ।

इस कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु सड़क दुर्घटनाओं संबंधी वीडियो क्लिप्स (क्या करें, क्या नहीं करें) का प्रदर्शन, अस्पताल पूर्व चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण तथा एस0डी0आर0एफ0 के द्वारा विभिन्न आपदाओं से बचाव के संबंध में मॉकड्रिल कराया गया।

सामुदायिक स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण

बिहार बहु–आपदा प्रवण राज्य है। फलतः गांव से लेकर जिले तक विभिन्न तरह की आपदाएं आती रहती हैं। पंचायतों में कुछ नौजवान आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन का जरूरी ज्ञान और हुनर सीख लें तो वे अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिले को आपदाओं से सुरक्षित रख सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए प्रशिक्षण के माध्यम से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा राज्य के नवयुवक/नवयुवतियों को प्रशिक्षित कर आपदाओ के प्रत्युत्तर हेतु तैयार किया जा रहा है ताकि आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करने में वे अपने समुदाय के लिए मददगार हो सकें। उद्देश्य है अपने गांव, पंचायत, प्रखंड एवं जिला स्तर पर विभिन्न आपदाओं की प्रवणता की जानकारी हासिल कर आपदाओं के जोखिम–न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की सहायता करने हेतु स्वयं को तैयार करना। जून, 2022 में दिनांक 30.05.2022 से 11.06.2022 मुजफ्फरपुर जिला के कुल 46 एवं दिनांक 20.06.2022 से 02.07.2022 जिला अररिया के कुल 42 स्वयंसेवकों को 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया गया।

जून, 2022 तक पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण एवं अररिया जिले के कुल 516 स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना की तैयारीः तीन दिवसीय मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण

आपदा के जोखिम से सुरक्षा के लिए राज्य के सभी गांवों की आपदा प्रबन्धन योजना तैयार किया जाना है। सुरक्षित ग्राम की संकल्पना के लिए यह आवश्यक है। किसी भी आपदा के घटित होने पर समुदाय ही प्रथम रिस्पॉडर होता है। इसलिए आपदाओं की जोखिम की पहचान एवं न्यूनीकरण तथा प्रबंधन में समुदाय की अहम भूमिका होती है। अतः समुदाय के माध्यम से आपदा प्रबन्धन योजना तैयार होना चाहिए ताकि किसी भी आपदा की स्थिति में उससे निपटने के लिए बेहतर प्रबंधन किया जा सके। गांव के स्थानीय समुदाय जहां पर वे रहते हैं वे वहां के सभी प्रकार के संसाधनों के बारे में जानते हैं साथ ही प्रबन्धन हेतु किन–किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। ग्राम आपदा प्रबन्धन योजना तैयार करने का कार्य समुदाय एवं पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य है। इस कार्य हेतु पंचायत प्रतिनिधियों एवं पंचायत में कार्यरत अन्य कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का क्षमता विकास एवं जागरूक करने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम के शुरूआती चरण में पाइलेटिंग के तौर पर दिनांक 7–9 जून, 2022 के अन्तराल में पूर्णिया एवं 15–17 जून, 2022 तक खगड़िया जिले के मास्टर ट्रेनर के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। दिनांक 7–9 जून, 2022 से आयोजित प्रशिक्षण के प्रथम बैच के उद्घाटन समारोह में श्री सम्राट चौधरी, माननीय मंत्री, पंचायती राज विभाग मुख्य अतिथि थे। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए आयोजित प्रशिक्षण के उद्देश्य और इसके महत्व की जानकारी दी। दो बैचों में कुल 58 मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षित किया गया, जो इस प्रकार हैः–

क्र0सं0	दिनांक	प्रतिभागी जिला	प्रतिभागियों की संख्या
1	7–9 जून, 2022	पूर्णिया	32
2	15–17 जून, 2022	खगड़िया	26
कुल			**58**

कटिहार के जिला आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा

दिनांक 10 जून, 2022 को माननीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में कटिहार जिले की आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा की गयी। जिले की आपदा प्रबंधन योजना को अद्यतन करने संबंधी इस समीक्षात्मक बैठक में जिले से संबंधित विभागों के प्रतिनिधि एवं प्रभारी, आपदा प्रबंधन के साथ अध्यायवार विस्तृत चर्चा की गयी। बैठक में निर्णय लिया गया कि योजना को अद्यतन करते हुए संबंधित विभागों के साथ बैठक की जाय, साथ ही इस संबंध में प्राधिकरण को अविलंब प्रारूप उपलब्ध कराया जाय।

इसी क्रम में दिनांक 29 जून, 2022 को जिला आपदा प्रबंधन योजना, कटिहार को अद्यतन करने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी कटिहार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में परियोजना पदाधिकारी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शामिल हुए। बैठक में जिला आपदा प्रबंधन योजना के महत्व एवं आवश्यकता की जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी गयी।

आपात स्थिति में पशु प्रबंधनः पशुधन सहायकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण

आपदाओं से मानव ही नहीं बल्कि पशु भी प्रभावित होते हैं। इसमें मानव के साथ–साथ पशुधन की भी बड़े पैमाने पर क्षति होती है। यद्यपि कि आपदाओं को घटित होने से रोका तो नहीं जा सकता है, किन्तु इनसे होने वाली क्षति को कम करने के लिए पशुधन सहायकों का कौशल विकास एवं आपदाओं के खतरों की पहचान कर पशुधन की सुरक्षा का समुचित प्रबंधन किया जा सकता है।

पशुधन की सुरक्षा एवं समुचित प्रबंधन के लिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित प्रशिक्षण में पशुधन सहायकों को बहु–आपदाओं की स्थिति में आपदा के पहले, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद में कैसे पशुओं की सुरक्षा एवं प्रबंधन की जानकारी दी जाती है। माह जून, 2022 में 28 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया गया। इस प्रकार अब तक कुल 12 बैचों में 304 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जो इस प्रकार हैः–

बैच संख्या	दिनांक	प्रतिभागियों की संख्या
1	15–17 फरवरी, 2021	30
2	18–20 फरवरी, 2021	27
3	05–07 अप्रैल, 2021	30
4	14–16 जुलाई, 2021	30
5	17–19 जुलाई, 2021	29
6	23–25 अगस्त, 2021	28
7	26–28 अगस्त, 2021	26
8	7–9 अक्टूबर, 2021	12
9	20–22 अक्टूबर, 2021	21
10	25–27 अक्टूबर, 2021	23
11	28–30 अक्टूबर, 2021	20
12	27–29 जून, 2022	28
	कुल	**304**

दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्ययोजना के लिए बैठक

दिव्यांगजनों के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी कार्ययोजना के संदर्भ में माननीय उपाध्यक्ष, डा॰ उदय कांत मिश्र, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता में दिनांक 24.06.2022 को प्राधिकरण सभाकक्ष में बैठक हुई। बैठक में राज्य के दिव्यांगजनों को विभिन्न आपदाओं में सूचना प्रेषण, पूर्व तैयारी एवं बचाव संबंधी उपायों के लिये विमर्श किया गया। विभिन्न सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के साथ विचार विमर्श के उपरांत प्राधिकरण स्तर पर एक समिति का गठन किया गया। कार्ययोजना के लिए आवश्यकताओं व प्रशिक्षण मॉड्युल तैयार करने के लिए दिशा निर्देश दिये गये।

औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा की समीक्षा

Anshul Snacks and Beverages Pvt. Ltd. में Boiler विस्फोट की घटना के आलोक में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों की समीक्षा की गयी। 20.6.2022 को आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य की औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा हेतु दिनांक 01.04.2022 की समीक्षा बैठक में लिए गए निर्णय की समीक्षा की गयी। इस समीक्षा बैठक में एक अप्रैल, 2022 को हुई समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्रवाई की समीक्षा की गयी।

बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों को सभी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई के बिन्दुओं पर कार्य करने का निर्देश दिया गया।

प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:–

1. औद्योगिक इकाइयों के वर्गीकरण
2. औद्योगिक इकाइयों का आपदा प्रबंधन योजना तैयार करना।
3. औद्योगिक इकाइयों में मॉकड्रिल कराना आदि।

Mass Messaging

आमलोगों को आपदा के खतरों से अवगत कराना जरूरी है। इसलिए आपदाओं में 'क्या करें, क्या न करें' की जानकारी एसएमएस के माध्यम से लोगों को दी जाती है।

प्राधिकरण में उपलब्ध विभिन्न मोबाइल नंबर जैसे जिला पदाधिकारी DM (38), ADM (38), BDO (534), CO (534), साथ ही साथ प्रशिक्षित फोकल टीचर (1542), नाव एवं नाव मालिक (3820), पंचायत जनप्रतिनिधि (**चयनित–207429**, गैर चयनित–**435699**), जीविका दीदी– **(148890)**, आशा कार्यकर्ता **(77542)**, आंगनबाड़ी सेविका **(45946)** एवं प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षित अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों समेत अन्य **लगभग 36 लाख नंबर** पर सामूहिक संदेश संप्रेषण (मैसेजिंग) नियमित रूप से किये जाते हैं। मई, 2022 में कुल **7803174** मास मैसेजिंग किया गया, जिसमें जीविका दीदी, आशा, जिला परिषद्, सी0ओ0, डी0एम0 और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मियों, प्रशिक्षित मुखिया, सरपंच एवं आई0सी0डी0एस0, जिला परिषद के लाभार्थी शामिल हैं। इस माह **नदियों–तालाबों में डूबने से बचने के उपाय, और** नाव दुर्घटना से बचने के उपाय, **चमकने/गरजने/ कड़कने के समय सुरक्षा संबंधी जानकारी दी गयी।**

अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम

'अस्पताल अग्नि सुरक्षा कार्यक्रम' के तहत '16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक' के आधार पर जून माह में राज्य के कुल 361 अस्पतालों का निरीक्षण किया गया जिसमें 123 सरकारी एवं 238 निजी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों का निरीक्षण प्राधिकरण के दिशा–निर्देश में अग्निशाम सेवा के अधिकारियों द्वारा किया गया। इस प्रकार राज्य के अब तक कुल 5,136 अस्पतालों का अग्नि प्रवणता सूचकांक के आधार पर निरीक्षण किया जा चुका है। विवरण निम्नवत हैः–

माह जून 2022 में अस्पतालों/नर्सिंग होमस् के भवनों में फायर ऑडिट का ऑकड़ा।

क्र0स0	जिला का नाम	कोविड अस्पताल			नन कोविड अस्पताल		
		सरकारी	निजी अस्पताल	कुल	सरकारी	निजी अस्पताल	कुल
1	पटना	0	0	0	17	35	52
2	नालंदा	3	0	3	0	7	7
3	रोहतास	0	0	0	0	5	5
4	भभुआ	0	0	0	5	3	8
5	भोजपुर	0	0	0	0	3	3
6	बक्सर	1	0	1	8	2	10
7	गया	0	0	0	0	7	7
8	जहानाबाद	2	0	2	0	2	2
9	अरवल	0	0	0	0	0	0
10	नवादा	0	0	0	0	2	2
11	औरंगाबाद	0	0	0	0	5	5
12	छपरा	0	0	0	14	5	19
13	सिवान	2	0	2	9	4	13
14	गोपालगंज	0	0	0	4	1	5
15	मुजफ्फरपुर	0	0	0	0	0	0
16	सीतामढी	1	0	1	7	9	16
17	शिवहर	0	0	0	0	0	0
18	बेतिया	1	0	1	0	0	0
19	बगहा	0	0	0	0	2	2
20	मोतिहारी	0	0	0	0	15	15
21	वैशाली	3	0	3	5	36	41
22	दरभंगा	0	0	0	1	12	13
23	मधुबनी	2	2	4	4	9	13
24	समस्तीपुर	1	0	1	2	2	4
25	सहरसा	0	3	3	0	0	0
26	सुपौल	0	0	0	0	4	4
27	मधेपुरा	0	0	0	0	10	10
28	पूर्णिया	1	0	1	7	6	13
29	अररिया	0	0	0	7	1	8
30	किशनगंज	0	0	0	0	11	11
31	कटिहार	1	0	1	4	12	16
32	भागलपुर	2	0	2	0	10	10
33	नवगछिया	0	0	0	6	1	7
34	बाँका	0	0	0	0	3	3
35	मुंगेर	0	0	0	0	1	1
36	लखीसराय	0	0	0	1	1	2
37	शेखपुरा	0	0	0	0	0	0
38	जमुई	0	0	0	2	4	6
39	खगड़िया	0	0	0	0	3	3
40	बेगुसराय	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	20	5	25	103	233	336

बाढ़ सुरक्षा

बिहार भारत के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्यों में से एक है। राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण हैं, जिसमें से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण हैं। राज्य की कुल आबादी के लगभग 76 प्रतिशत लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहते हैं। इसके अतिरिक्त वर्तमान परिदृश्य में शहरी बाढ़ भी नई समस्या के रूप में उभर रही है। निम्नलिखित उपाय कर बाढ़ से होने वाली क्षति को कम किया जा सकता है।

क्या करें ?

घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षित आश्रय की जानकारी हो।

आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटा रेडियो, टॉर्च, बैट्री, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री, आवश्यक दवाइयां आदि हो।

चेतावनी व सुझाव के लिए रेडिया सुनें या टी.वी देंखे। स्थानीय अधिकारियों की चेतावनियों पर ध्यान दें।

अफवाह पर ध्यान न दें और न ही घबरायें।

बाढ़ के दौरान खाना ढक कर रखें। हल्का भोजन करें एवं उबला हुआ पानी पियें।

दस्त होने पर चावल का पानी, नारियल पानी आदि का सेवन करें। ओआरएस व अन्य उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री बांटने में मदद करें।

गर्म कपड़े, जरूरी दवाएं, कीमती वस्तुएं, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि को पॉलीथिन बैग या वाटरप्रुफ बैग में अपने साथ रख लें।

पानी को उबालकर तक तक पिएं जब तक कि संबंधित विभाग द्वारा हैलोजन की गोलियां पानी में डालने के लिए उपलब्ध न करा दी जाय।

सांपों एवं अन्य जहरीले जन्तुओं से बचकर रहें।

बच्चों को बाढ़ के पानी के पास खेलने से रोकें।

क्या न करें ?

अगर पानी की गहराई की जानकारी न हो तो उसे कभी भी पार करने की कोशिश न करें।

ऐसे किसी भी खाद्य पदार्थ का सेवन न करें जो बाढ़ के पानी से प्रभावित हुआ हो।

खबरें तस्वीरों में

बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का नौवें बैच का प्रशिक्षण

ग्राम आपदा प्रबंधन योजना के लिए मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम में जीविका दीदी

बाढ़ सुरक्षा सप्ताहः एनसीसी एवं एस.डी.आर.एफ. की गतिविधियां

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

बिहार सरकार